

कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 1602 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026

रायपुर,

दिनांक 05 अक्टूबर 2026

// सूचना //

प्रवेश वर्ष 2026 (फिजियोथेरेपी (BPT) पाठ्यक्रम की प्रथम चरण काउंसिलिंग आवंटन सूचना

आज दिनांक 05.10.2026 को छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय एवं निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालय की सीटों की प्रथम चरण काउंसिलिंग के लिए आवंटन सूची जारी की गई है, इसके तहत स्कूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया निम्न समय-सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी : —

सभी आवंटित अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा स्नातक प्रवेश नियम, 2025 का अध्ययन कर ही, स्कूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करें। (विशेषकर नियम 7 का उप-नियम (viii) का अध्ययन करें)। आवंटन उपरांत नियमानुसार उचित प्रक्रिया के अभाव में अभ्यर्थी अपात्र हो सकते हैं।

जिन अभ्यर्थियों को आवंटन प्राप्त हुआ है, वे उपरोक्त उल्लेखित नियम का पालन करते हुए द्वितीय काउंसिलिंग में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें स्कूटनी करवाना तथा स्कूटनी में पात्र होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी संस्था में प्रवेश लेने उपरांत ही अपग्रेडेशन (Upgradation) कर सकेंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय काउंसिलिंग के समय अपने लॉग इन पोर्टल पर अपग्रेडेशन (Upgradation) का विकल्प देना अनिवार्य होगा।

स्कूटनी एवं प्रवेश हेतु समय-सारणी

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	स्कूटनी एवं प्रवेश की प्रारंभिक तिथि एवं अंतिम तिथि (Physical Mode/Offline Mode)	दिनांक 06 अक्टूबर 2026, समय Server Time 10:00 Hrs (10:00 AM) से दिनांक 11 अक्टूबर 2026, समय Server Time 16:00 Hrs (04:00 PM) तक
2	आवंटित संस्था में प्रवेश की प्रारंभिक तिथि एवं अंतिम तिथि (Physical Mode/Offline Mode)	दिनांक 06 अक्टूबर 2026, समय Server Time 10:00 Hrs (10:00 AM) से दिनांक 11 अक्टूबर 2026, समय Server Time 17:00 Hrs (05:00 PM) तक

महत्वपूर्ण निर्देश:-

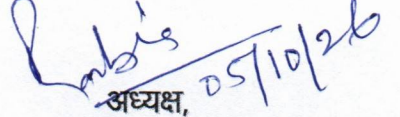
- सभी शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों की स्कूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, रायपुर में आयोजित की जायेगी। तदनुसार संबंधित शासकीय महाविद्यालय स्कूटनी स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

2. निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियों की स्कूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया आवंटित संस्था में ही की जायेगी।

नोट:-

1. स्कूटनी में अथवा प्रवेश नियम विरुद्ध अर्थात् स्कूटनी में अपात्र अथवा प्रवेश में अपात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं स्कूटनी हेतु संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी तथा न्यायालयीन प्रकरणों में भी उन्ही की जिम्मेदारी होगी एवं स्पष्टीकरण संस्था को स्वयं देना होगा।
2. आगामी काउंसिलिंग, आवंटन इत्यादि से संबंधित जानकारी हेतु वेबसाइट www.cgdme.in एवं <https://cgdme.admissions.nic.in/> का नियमित अवलोकन करते रहें।
3. शासकीय एवं निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों की सीटों का आवंटन कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा नियमानुसार ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, अतः किसी व्यक्ति/संस्था के प्रवेश दिलवाने संबंधित धोखे में नहीं फंसे।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

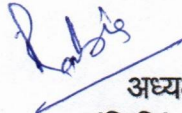
पृ. क्रमांक / 1603 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026 रायपुर,

दिनांक 05 अक्टूबर 2026

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, समस्त शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, छ.ग. एवं प्राचार्य, अपोलो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, अंजोरा, दुर्ग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल से प्रेषित।

समस्त शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय स्कूटनी स्थल शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, रायपुर में अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।


अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.